(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1866–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–2007– पारित व्दारा तत्का. प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 579–एक/2007 निगरानी

1– बुला पुत्र बापूजी
2– थावर पुत्र बापूजी
3– शॅकर पुत्र बापूजी
निवासीगण ग्राम परसुखेड़ी
तहसील आगर जिला शाजापुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सुरजवाई पत्नि स्व.बाबरू
ग्राम परसुखेड़ी तहसील आगर
जिला शाजापुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – मुकेश भार्गव)
(अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं)

अ ा दे श

(आज दिनांक 07 दिसंबर 2015 को पारित)

तत्का. प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 579–एक/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–9–2007 के पुनरावलोकन हेतु म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, आगर–बड़ौद जिला शाजापुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–9–1995 को राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1596/1/2005 में पारित आदेश दिनांक 20–7–2005 से निरस्त किया गया। राजस्व मण्डल के इस आदेश के पालन में

अतिरिक्त तहसीलदार कानड़ ने आवेदकगण को सूचना पत्र क्रमांक री-1/ दिनांक 3-1-2007 जारी किया कि महिला सूरजवाई (अनावेदक) को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाने की कार्यवाही 8-7-2007 को दोपहर 11-00 बजे की जायेगी, इसलिये उपस्थित हों। इस सूचना पत्र के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी आगर वड़ौद के समक्ष अपील क्रमांक 21/2006-07 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12 मार्च 2007 पारित कर अपील अप्रचनशील नहीं होने से निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 579-एक/2007 प्रस्तुत होने पर तत्कालीन प्रशासकीय सदस्य ने आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2007 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये विवरण पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने का आग्रह किया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पुनरावलोकन आवेदन में बताया गया है कि ग्राम परसुखेड़ी स्थित कृषि भूमि पर आवेदकगण का पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है । राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1596/1/2005 में पारित आदेश दिनांक 20-7-2005 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी आगर बड़ौद ने आदेश में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रकरण में संपूर्ण परिस्थतियों पर विचार कर गुणदोष के आधार पर निर्णय दिया जाय, किन्तु उसका कियान्वयन विधिवत नहीं किया। तत्का.प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल के समक्ष तर्को में निवेदन किया गया था कि रिकार्ड आहुत कराया जावे किन्तु पूर्ण रिकार्ड प्राप्त किये बिना आदेश पारित हुआ है।

अति.तहसीलदार कानड ने दिनांक 3-1-07 को जो आदेश दिया है वह मिश्रित आदेश है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जावे।

5/ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने से स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 579-एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2007 के विरूद्ध विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन है एंव इस आदेश के पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये गये हैं वह पूर्व में ही आदेश दिनांक 18-9-2007 में विचारित होकर निराकृत है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में पुनरावलोकन हेतु इस प्रकार आधार बताये गये हैं -

1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की सकती थी।**
2. **मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या**
3. **कोई अन्य पर्याप्त कारण ।**

परन्तु उक्त में से कोई भी आधार पुनरावलोकन प्रकरण में दर्शित नहीं है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। अतएव राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 579-एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर